FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSI (SAHARSA)
[L.D. Appeal Case No.-10/2026]

Md. Qaisar Alam.....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	07.5.2026	**आदेश**	

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-77/2025-26 में दिनांक-22.12.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	पुराना खाता/खेसरा	नया खाता/खेसरा	रकवा
मधेपुरा	मधेपुरा/61	1044/4253, 4254	82/114	10 धुर

दिनांक 02.5.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके पिता के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया था। उनका कहना है कि उनका पश्चिमी बाउंड्री वॉल विपक्षी के मकान से पूर्वी दिशा की तरफ सटा हुआ है। तथा यह कि उनके द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि लगभग 65 वर्षो से प्रश्नगत जमीन पर उनका शांतिपूर्ण दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि अंचल अमीन, मधेपुरा के द्वारा गलत मापी प्रतिवेदन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा 02 कट्ठा) उनके पिता के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया गया। कालान्तर में पारिवारिक बंटवारे के उपरान्त 10 धुर जमीन उनके हिस्से में आया। तथा यह कि लगभग 50 वर्ष पूर्व ही उनके पिता के द्वारा उनकी खरीदगी जमीन पर मकान बनाया गया था। उनका कहना है कि कुल 02 कट्ठा की खरीदगी जमीन पर उनके पिता द्वारा 1 कट्ठा 19 धुर 6 धुरकी जमीन पर ही मकान बनाया गया था, शेष 14 धुरकी जमीन पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल बना दिया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी के पिता के द्वारा पूर्व में 04 कट्ठा जमीन का क्रय निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया था, जिसमें से 02 कट्ठा जमीन का विक्रय उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। तथा यह कि अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के पिता के द्वारा उनकी खरीदगी जमीन से अधिक हिस्सा पर दखल किया गया है। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय के

07.5.2026

अपीलाधीन आदेश को संपुष्ट करते हुए तदनुसार इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष की ओर से निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय करने तथा विगत कई वर्षों से शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में रहने का दावा किया जा रहा है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष की बीच प्रश्नगत खेसरा की जमीन के मापी/सीमांकन का विवाद है। तथा यह कि उक्त विवाद के समाधान हेतु प्रासंगिक खेसरा/जमीन का मापी-सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। LCR में रक्षित अंचल अधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 2472-2 दिनांक 28. 11.2025 के साथ संलग्न अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन में विपक्षी के खरीदगी जमीन (2 कट्ठा) में से 14 धुरकी जमीन पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा करने का तथ्य अंकित है। सुनवाई में उपरोक्त तथ्यों को Negate करने के संबंध में अपीलार्थी की ओर से कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन एवं साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। अपीलार्थी यदि अंचल अमीन, मधेपुरा के मापी प्रतिवेदन से असंतुष्ट हैं तो बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 के धारा-3 के तहत संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में भू-मापी अपील वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Rajesh K.
07/5/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Rajesh K.
07/5/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय
कोशी प्रमण्डल, सहरसा
सत्यमेव जयते